Popular Front of India

+91 11 2 9949902
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/PopularFront EMedia
/pfiofficial

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
16 जनवरी 2020

पॉपुलर फ्रंट ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एनआईए कानून के ख़िलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने का किया स्वागत

दूसरी गैर–बीजेपी सरकारों से भी कोर्ट का रुख़ करने की अपील

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव एम. मोहम्मद अली जिन्ना ने काले कानून एनआईए एक्ट को संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले का स्वागत किया है, और साथ ही अन्य गैर–बीजेपी सरकारों से भी फेडरेलिज़्म की आत्मा के ख़िलाफ लाए गए इस क़ानून को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की अपील की है।

इस क़ानून के ख़िलाफ संविधान की धारा 131 के तहत, राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका में बहुत ही गंभीर बातें उठाई गई हैं, जिसे पहले भी कई राजनीतिक पार्टियां और नागरिक अधिकार समूह उठा चुके हैं, जब 2008 में यह कानून लाया गया और जब 2019 में इसमें संशोधन करते हुए इसे और ज़्यादा खतरनाक बनाया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने हक़ीक़त बयान करते हुए कहा है कि यह क़ानून देश के फेडरल चरित्र को कमज़ोर करता है, क्योंकि इसमें केंद्र को इतने ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं कि वह राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में भी हस्तक्षेप कर सकती है। राज्य सरकार की याचिका के अनुसार, इस क़ानून में राज्य को हासिल अधिकारों पर अमल का न कोई प्रावधान है और न राज्य के साथ बातचीत की कोई जगह, यहां तक कि राज्यों से किसी तरह की कोई अनुमति लेने की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यह हक़ीक़त भी मौजूदा ख़ौफ को साबित करती है कि पिछले कुछ सालों में लगातार ऐसी गंभीर शिकायतें सामने आती रही हैं कि केंद्र सरकारों ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को दबाने और विरोध की आवाज़ों को कुचलने के लिए इस क़ानून का गलत इस्तेमाल किया है।

इस हक़ीक़त से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुख्यधारा के विपक्षी दलों ने स्थिति को इतना गंभीर बनाने में मुख्य रोल निभाया है। मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं की कड़ी आलोचनाओं के बावजूद, सबसे पहले 2008 में यूपीए सरकार ही यह क़ानून लेकर आई थी। हां, मगर यह अच्छा पहलू है कि आख़िरकार राज्य सरकारें हक़ीक़त को समझ रही हैं। केरल सरकार ने भेदभावपूर्ण नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ बाक़ायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाकर एक अच्छी मिसाल कायम की है। एक ऐसा राज्य होने के नाते, जहां एनआईए एक्ट और यूएपीए के दुरुपयोग की कई घटनाएं हुई हैं, केरल राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ की तरह इन दोनों कानूनों को चुनौती देकर पहली पंक्ति में अपनी जगह बना सकती है। इस परिस्थिति की गंभीरता पर विचार करते हुए, पॉपुलर फ्रंट अन्य राज्यों की गैर–बीजेपी सरकारों से भी अपील करता है कि वें इस मांग में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ खड़े हों और देश के फेडरल चरित्र और संविधान को बचाने में अपना रोल अदा करें।

डॉ मोहम्मद शमून
डायरेक्टर, मीडिया एवं जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली